न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/405

1. संजय उम्र 45 वर्ष ।
2. साधना आयु 50 वर्ष ।
3. सुनीता आयु 47 वर्ष पिसरान श्री चन्द्रनारायण माथुर जाति कायस्थ निवासीगण 1–र–8 दादाबाडी कोटा जरिये मुख्तारआम हरिमोहन शर्मा आयु 56 वर्ष आत्मज श्री जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पाटनपोल कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 15.10.2012 के द्वारा तहसील लाडपुरा में स्थित ग्राम उम्मेदपुरा, आवंली, हाथीखेडा, हनुवंतखेडा एवं ग्राम बोरखण्डी की सिवायचक भूमियॉ राजकीय प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग जयपुर की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास, कोटा को शर्तों पर आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित आवंटित आदेश दिनांक 15.10.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के ग्राम आवंली उप तहसील मण्डाना की आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि को सिवायचक मानते हुए आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर रेस्पोडेन्ट कम 2 को आवंटित करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक तरफा उक्त आदेश पारित

कर दिया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की माता श्रीमती सज्जन देवी को दिनांक 20.04.1977 को आवंटित कर कब्जा दिया गया था । उक्त भूमि का पूर्व में खसरा नम्बर 165 रकबा 15 बीघा था । आवंटित भूमि पर अपीलान्ट की माता जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहीं और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सूचित किये बिना सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त आदेश के तहत प्रतिपक्षी क्रम 2 को आवंटित की गई भूमि में अपीलान्ट की भूमि आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 2.97 हैक्टर भी सम्मिलित है । उक्त निर्णय से प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है और प्रार्थीगण पीडित पक्षकार हैं जिन्हें अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपने हित प्रभावित होने का कथन किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं अथवा नहीं यह तो अपील में तय होगे । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित कर दिया । इसलिए अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.08.2015 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादग्रस्त आराजी को सिवायचक मानते हुए भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 की सपठित धारा 102 ए के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास को अन्तरित कर दी । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की माता को वर्ष 1977 में आवंटित की गई थी और उन्हें

कब्जा दिया गया था । अपीलान्ट की माता की मृत्यु के उपरान्त इस पर अपीलान्टगण का कब्जा है । जिला कलक्टर के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 21.09.2002 को निर्णय प्रदान कर आवंटन को निरस्त कर दिया । जिला कलक्टर कोटा के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहॉ अपील प्रस्तुत की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर दिनांक 14.09.2006 को जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 21.09.2002 को निरस्त कर अपीलान्ट के आवंटन को बहाल कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय आज भी प्रभावशील है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार को नामान्तरकरण खोलने हेतु 2007 में प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु तहसीलदार ने कोई कार्यवाही नहीं की और दिनांक 28.02.2013 को पुनः नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु तहसीलदार द्वारा उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । दिनांक 04.08.2015 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को बताया गया कि उक्त भूमि तो जिला कलक्टर कोटा द्वारा नगर विकास न्यास को आवंटित कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि थी जिसे वर्ष 2012 में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिला कलक्टर कोटा ने नगर विकास न्यास को अन्तरित किया है । अपीलान्ट ने उक्त अपील काफी विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । जिला कलक्टर कोटा ने अपने अपीलाधीन आदेश से राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.06.2009 की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी के साथ–साथ कई ग्रामों की आराजी को नगर विकास न्यास को अन्तरित की है । अपीलान्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2006 से उनके आवंटन को बहाल रखा गया था और जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 21.09.2002 को अपास्त किया गया है परन्तु 2006 के उपरान्त वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज नहीं की गई और वर्ष 2012 तक भी आराजी सिवायचक दर्ज रही जो जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश से नगर विकास न्यास को अन्तरित कर दी गई । अपीलान्ट के द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लाडपुरा से आराजी को खाते दर्ज करने के लिए आवेदन वर्ष 2007 और वर्ष 2013 में दिया गया परन्तु उन्होंने अपील के साथ जो प्रार्थना पत्रों की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है उनमें प्रथम प्रार्थना पत्र मुख्तारआम हरिमोहन शर्मा के द्वारा पेश किया गया है जिसमें पेश किये जाने का दिनांक अंकित नहीं है और दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2013 को पेश किया गया है । इस न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अपीलान्ट ने समय रहते उसकी पालना नहीं करवाई है । वर्ष 2012 में जब वादग्रस्त आराजी अपीलाधीन आदेश से नगर विकास न्यास को अन्तरित की गई है, उस समय उक्त आराजी सिवायचक दर्ज थी जिसको विधि सम्मत रूप से जिला कलक्टर कोटा के द्वारा नगर विकास न्यास को अन्तरित किया गया है ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 के आदेश के खिलाफ उक्त अपील वर्ष 2015 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है और अपीलान्ट ने विलम्ब को क्षम्य किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा